डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार

बिहार सरकार

विकास भवन, पटना - 800 015
फोन : 0612 - 2217016 (कार्यालय)
फैक्स : 0612 - 2235108
ई-मेल : secy-edn-bih@nic.in

पत्रांक – 46/आ०   पटना, दिनांक – 26-06-2025

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ–ही–साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया परन्तु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण के वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गयी है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानान्तरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाय। एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम दस शिक्षकों का अपना समूह बना कर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानान्तरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही केटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्त्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे।

जो भी शिक्षक स्थानान्तरण चाहते हैं वे ई–शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानान्तरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और केटेगरी के Transfer के इच्छुक पूरे पंचायत/प्रखंड/अनुमंडल/जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधिनस्थ दस वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक हैं । OTP के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई–शिक्षाकोष के माध्यम से दिया जायेगा। ई–शिक्षाकोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के तीन दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जायेगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात् 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इन्कार कर देते हैं, तो सभी स्थानान्तरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। इस वर्ष चूंकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य के सभी शिक्षक/शिक्षक समूह अपने स्तर से ई–शिक्षाकोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षकों को अवगत कराया जाए।

विश्वासभाजन

26/6/2025
(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)

ज्ञापांकः 46/गो० पटना, दिनांक 26-06-2025

प्रतिलिपि : सचिव द्वय/ राज्य परियोजना निदेशक/ प्रबंध निदेशक, बी०एस०ई०आई०डी०सी०/सभी निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/2025

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः 46/गो० पटना, दिनांक 26-06-2025

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/2025

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः 46/गो० पटना, दिनांक 26-06-2025

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/2025

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः 46/गो० पटना, दिनांक 26-06-2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/6/2025

अपर मुख्य सचिव